तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/1309/2026/नागौर** **रणजीत बनाम ओमप्रकाश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री उमेश कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री शिशिर विजयवर्गीय, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—23.03.2026

1. यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा अपील सं0 23/2026 में पारित आदेश दिनांक 21—01—2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारंभिक आपत्ति पर सुनी गयी।

3— विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारंभिक आपत्ति में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—01—2026 एक अंतरिम आदेश की श्रेणी में आता है तथा अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 84 ए संधारण योग्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 25—09—2024 के विरूद्ध दिनांक 24—10—2024 को पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था जिस पर दिनांक 23—12—2024 को सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश प्रदान किया गया था। जिसके पश्चात् लगातार अति0 संभागीय आयुक्त के न्यायालय में अपील प्रस्तुत तक मौके व रिकार्ड के सम्बंध में स्थगन रहा है। जिसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा स्वयं के पक्ष में नामांतरकरण स्वीकृत करा जमाबंदियों में अपना नाम अंकित करा दिया और उक्त फर्जी प्रविष्टियों के आधार पर प्रार्थी व अन्य व्यक्तियों द्वारा लगातार सम्पत्ति को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा स्वयं के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् भी उपखण्ड अधिकारी के समक्ष नियमित वाद प्रस्तुत किया हुआ है। ऐसी स्थिति में सम्पत्ति अधिकारों व पक्षकारों के मध्य विवाद को बढने से रोकने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिक है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी इसी स्तर पर निरस्त किये जाने का कथन किया।

4— विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारंभिक आपत्ति में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुए अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में आता है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार को साक्ष्य, सुनवाई एवं जवाबदेही का समुचित अवसर दिये बगैर उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/1309/2026/नागौर** **रणजीत बनाम ओमप्रकाश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

25–09–2024 के विरूद्ध लगभ एक वर्ष दो माह मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि स्थगन प्रार्थना पत्र पर कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व मियाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर नहीं किया कि भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों अनुसार विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश पारित नहीं किया है जबकि प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बाबत् आदेश पारित किया गया है जो विधिसंगत नहीं है। न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व इस बात पर गौर नहीं किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–09–2024 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया संधारण योग्य ही नहीं थी, क्योंकि अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–09–2024 की पालना की जाकर नामांतरकरण स्वीकृत किया जा चुका था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पर अपील संधारण योग्य नही हो तो ऐसी अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अतः अनिगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारंभिक आपत्ति खारिज फरमाया जाकर निगरानी को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किये जाने का निवेदन किया।

5– हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारंभिक आपत्ति पर की गयी बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत लामपोलाई द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 136 दिनांक 19–08–1974 से व्यथित होकर निगराकार द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गयी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी जिला नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 25–09–2024 के द्वारा निगराकार/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 136 दिनांक 19–08–1974 को निरस्त किया जाकर स्व0 लालूराम के विधिक उत्तराधिकारीगण का नामांतरकरण भरने के आदेश पारित किये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी जिला नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–09–2024 से व्यथित होकर अनिगराकारगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त मु0 अजमेर के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त मु0 अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 21–01–2026 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–09–2024 में अंकित विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–01–2026 से व्यथित होकर निगराकार ने मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने के आदेश पारित करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 13–03–2026 नियत की हुई है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निर्णय पारित किया जाना है। उपर्युक्त स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 02 माह के अन्दर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/1309/2026/नागौर** **रणजीत बनाम ओमप्रकाश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। 6— परिणामतः प्रकरण उपरोक्तानुसार इसी स्तर पर निर्णित किया जाता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 02 माह के अन्दर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	